पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

कौशमी देवी उर्फ कौसमी देवी

बनाम

बिहार राज्य और अन्य

2025 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार संख्या 1682

26 जून, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

1. क्या प्रतिवादी संख्या 8 के पास शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार है या नहीं?

2. क्या राज्य चुनाव आयोग द्वारा केस संख्या 15/2023 (अशोक कुमार मांझी बनाम कौशमी देवी एवं अन्य) में पारित दिनांक 17.12.2024 का विवादित आदेश सही है या नहीं?

हेडनोट्स

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007- धारा 18(1)(एम) और 18(2)- अयोग्यता- प्रतिवादी ने प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के बारे में गलत जानकारी दी है- इस आधार पर अयोग्यता कि याचिकाकर्ता के दो से अधिक बच्चे हैं- याचिकाकर्ता को बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद से अयोग्य घोषित किया गया- याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अनुरक्षणीयता के मुद्दे पर आयोग द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय नहीं लिया गया।

निर्णीत: बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007- धारा 18(1)(एम) और 18(2)- अयोग्यता- प्रतिवादी ने प्राधिकारी के समक्ष शिकायत दर्ज कराई कि याचिकाकर्ता ने अपने तीसरे बच्चे के जन्म के बारे में गलत जानकारी दी है- इस आधार पर अयोग्यता कि याचिकाकर्ता के दो से अधिक बच्चे हैं- याचिकाकर्ता को बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद से अयोग्य घोषित किया गया- याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अनुरक्षणीयता के मुद्दे पर आयोग द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में निर्णय नहीं लिया गया।

(पैराग्राफ 21 से 27)

न्याय दृष्टान्त

रजनी कुमारी बनाम राज्य चुनाव आयोग, 2019 (4) पीएलजेआर 673; अरुण कुमार एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य, (2007) 1 एससीसी 732; कैरोना लिमिटेड बनाम मेसर्स पार्वती स्वामीनाथन एंड संस, एआईआर 2008 एससी 187; डॉ. जगमीत सैन भगत एवं अन्य बनाम निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा एवं अन्य, एआईआर 2013 एससी 3060- **भरोसा किया गया।**

रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर, रायगढ़ एवं अन्य, **(2012) 4** एससीसी **407-विशिष्ट किया गया।**

अधिनियमों की सूची

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007

मुख्य शब्दों की सूची

लोकस, अयोग्यता, निर्विवाद सामग्री, राज्य चुनाव आयोग।

प्रकरण से उत्पन्न

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा केस संख्या 15/2023 (अशोक कुमार मांझी बनाम कौशमी देवी एवं अन्य) में पारित आदेश दिनांक 17.12.2024 से, जिसे आगे ज्ञापन संख्या 15/2023/4364 दिनांक 17.12.2024 द्वारा सूचित किया गया है, जिसके द्वारा प्रतिवादी राज्य निर्वाचन आयोग।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री रंजीत चौबे, अधिवक्ता।

राज्य चुनाव आयुक्त की ओर से: श्री रवि रंजन, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से: श्री इंद्रदेव प्रसाद, प्रतिनिधि।

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: आभाष चंद्र

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2025 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1682

==========

कौशमी देवी उर्फ कौशामी देवी पत्नी- श्री सुरेश मांझी, निवासी- गाँव-धनवन, पोस्ट-बगदाहा, थाना -बोधगया, जिला-गया, बिहार (पूर्व उप मुख्य पार्षद, बोधगया नगर परिषद, बोधगया)

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. जिला मजिस्ट्रेट-सह-जिला चुनाव अधिकारी (पंचायत), गया।
3. जिला पंचायती राज अधिकारी, गया।
4. उप-मंडल अधिकारी, गया सदर-सह-चुनाव अधिकारी, नगर परिषद, बोधगया, जिला-गया।
5. खंड विकास अधिकारी-सह-सहायक चुनाव अधिकारी, नगर परिषद, बोधगया, जिला-गया।
6. सिविल सर्जन-सह-मुख्य चिकित्सा अधिकारी, गया।
7. राज्य चुनाव आयुक्त, बिहार, पटना राज्य चुनाव आयोग, पटना।
8. अशोक कुमार मांझी पुत्र- स्वर्गीय अमीरक मांझी, निवासी- गाँव और डाकघर - अमवन, थाना -बोधगया, जिला-गया।

.....प्रतिवादी/ओं

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री रंजीत चौबे, अधिवक्ताः

एस. इ. सी. के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 8 के लिए : श्री इंदरदेव प्रसाद, प्रतिनिधि

==========

माननीय न्यायमूर्ति श्री आलोक कुमार सिन्हा

सीएवी निर्णय

दिनांक: 26-06-2025

पार्टियों को सुना।

2. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट आवेदन में मामले सं.15/2023 (अशोक उमर मांझी बनाम कौश्मी देवी और अन्य) में पारित दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक-P-4) के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया है। जिसे प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ज्ञापन सं.15 /2023/4364 दिनांक 17.12.2024 के माध्यम से संसूचित किया गया है, जिसके द्वारा प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग ने बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत कथित रूप से शक्ति का प्रयोग करते हुए याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 18 (1) (एम) के तहत गया नगर परिषद, बोधगया के उप मुख्य पार्षद के विधिवत निर्वाचित पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग के फैसले पर इस आधार पर सवाल उठाया है कि अशोक कुमार मांझी (प्रत्यर्थी संख्या 8) द्वारा दायर शिकायत कानूनी रूप से विचारणीय नहीं थी और उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि उसमें लगाया गया आरोप किसी भी निर्विवाद सामग्री पर आधारित नहीं था। वास्तव में याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, शिकायत पर अवैध रूप से विचार किया गया था और तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा किया गया था, जो बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर भी सवाल उठाया है जो उसके सामने उपलब्ध सामग्री के वजन के गलत और विपरीत होने के आधार पर योग्यता पर दिया गया है।(हालाँकि रिट आवेदन के पैराग्राफ-1 में ऐसी कोई प्रार्थना नहीं की गई है)।

3. याचिकाकर्ता ने आगे अनुरोध किया है कि मामले सं.15/2023 में पारित दिनांक 17.12.2024 (अनुलग्नक-P/4) के आदेश को अपास्त करने के बाद, याचिकाकर्ता को उप मुख्य पार्षद, गया नगर परिषद, बोधगया के पद पर बहाल किया जाए, जो वह प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा आक्षेपित आदेश पारित होने से पहले सेवारत थी।

4. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अमित श्रीवास्तव ने तर्क देते हुए कहा कि जब राज्य सरकार ने वर्ष 2022 में निकाय गया नगर परिषद/नगर परिषद के गठन को अधिसूचित किया, तो राज्य चुनाव आयोग ने वर्ष 2022 में उक्त नगर परिषद में चुनाव आयोजित किया और सभी उचित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद, याचिकाकर्ता को निजी प्रतिवादी नं.8 अशोक कुमार मांझी की पत्नी को हराने के बाद बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के रूप में चुना गया ! आगे कहा गया कि जब याचिकाकर्ता कानूनी रूप से नगर परिषद् के उप मुख्या पार्षद का कार्य कर रहा था तब याचिकाकर्ता से चुनाव हारने वाले उम्मीदवार के पति अशोक कुमार मांझी (प्रतिवादी संख्या 8) द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी। यह शिकायत प्रत्यर्थी नं.8 धारा 18 (1) (एम) के तहत याचिकाकर्ता को उसके पद से अयोग्य घोषित करने के अनुरोध के साथ प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के तहत की गई थी । उक्त शिकायत में, यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ता ने "प्रपत्र-ग" के पैरा-9 में अपने तीसरे बच्चे के जन्म के बारे में गलत जानकारी दी थी, जो उम्मीदवार का बायो-डेटा फॉर्म था। उक्त शिकायत के आधार पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा मामला सं.15 /2023 दर्ज किया गया था। उक्त शिकायत को रिट आवेदन के अनुलग्नक-पी-1 के रूप में दर्ज किया गया है। प्रत्यर्थी सं. 8 द्वारा दायर इस शिकायत में याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह विशेष रूप से आरोप लगाया गया था कि स्वाति कुमारी नाम की एक लड़की का जन्म ,तारीख की कटौती के बाद हुआ था, अर्थात दिनांक 04/04/2008 के बाद, और एक बेटे और एक बेटी का जन्म उक्त तारीख की कटौती से पहले हुआ था और इसलिए याचिकाकर्ता को बिहार नगर निगम अधिनियम की धारा 18 (1) (एम) के अनुसार अपने निर्वाचित पद से अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए, जिसमें प्रावधान है कि एक व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के रूप में पद धारण करने के लिए चुनाव के बाद भी अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यदि ऐसे व्यक्ति को तारीख की कटौती 04/04/2008 के बाद दो से अधिक बच्चे होते पाए जाते हैं।

5. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि भले ही प्रतिवादी नं 8 द्वारा बोधगया नगर निगम के उप मुख्य पार्षद के पद पर रहने से याचिकाकर्ता की अयोग्यता के लिए प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष दायर किया गया है कि तारीख में कटौती के बाद तीसरे बच्चे के जन्म लेने का आरोप, यानी 04.04.2008, के बाद , लेकिन उक्त शिकायत का समर्थन या उसके साथ शिकायत में लगाए गए आरोप को स्थापित करने के लिए कोई निर्विवाद सामग्री नहीं थी और इसलिए, प्रारंभिक मुद्दे के रूप में, इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया जाना चाहिए था क्योंकि इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में इसे बनाए रखने योग्य नहीं है। र**जनी कुमारी बनाम राज्य चुनाव आयोग** ने **2019 (4) पी. एल. जे. आर. 673** रिपोर्ट किया हुआ के मामले में !

6. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि शिकायत (अनुलग्नक-पी-1) में लगाए गए आरोपों का जवाब देते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष दिनांक 22/11/2023 को एक जवाब दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने शिकायत की स्थिरता को इस आधार पर चुनौती दी थी कि इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह शिकायत में लगाए गए आरोप को स्थापित करने के लिए किसी भी निर्विवाद सामग्री का समर्थन या साथ नहीं है और शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत थे, इसलिए, तथ्य के इन विवादित प्रश्नों को बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 18 (2) के तहत विचार की गई संक्षिप्त कार्यवाही में नहीं लिया जा सकता है ! ।संक्षेप में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी राज्य चुनाव के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा दायर उत्तर का योग और सार के बिषय में आयोग का कहना था कि चूंकि शिकायत में लगाए गए आरोपों को स्थापित करने के लिए किसी भी निर्विवाद साक्ष्य द्वारा शिकायत का समर्थन नहीं किया गया था, इसलिए ऐसी शिकायत पर विचार करना प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर था, जिसके लिए तथ्य के विवादित प्रश्नों को तय करने के लिए सबूत की आवश्यकता होगी।इसलिए, विद्वान वरिष्ठ

वकील प्रस्तुत करते हैं कि बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत दायर शिकायत की रखरखाव का मुद्दा विशेष रूप से प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष उठाया गया था और इसका निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में किया जाना चाहिए था क्योंकि इसमें अधिकार क्षेत्र से संबंधित एक मुद्दा शामिल था।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने जोर देकर कहा कि चूंकि शिकायत में लगाए गए आरोप पूरी तरह से गलत थे और याचिकाकर्ता द्वारा अपने जवाब में विशेष रूप से विवादित थे, इसलिए तथ्य के इन विवादित प्रश्नों के लिए साक्ष्य की आवश्यकता थी और आरोपों की ऐसी प्रकृति का निर्णय केवल बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 476 के तहत सक्षम दीवानी न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका के माध्यम से किया जा सकता था, लेकिन चुनाव याचिका दायर करने के बजाय, प्रतिवादी नं.8 ने उक्त अधिनियम की धारा 18 (1) (एम) के तहत याचिकाकर्ता को उसके पद से अयोग्य ठहराने के लिए शरारतपूर्ण तरीके से बिहार नगर निगम अधिनियम की धारा 18 (2) को लागू करने का विकल्प चुना ।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील, इसलिए, प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा की गई पूरी कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना थी और तथ्य के विवादित प्रश्नों की जांच करना उनके अधिकार क्षेत्र के दायरे में नहीं था, जो साक्ष्य के उचित संग्रह के बाद ही तय किया जा सकता था। नतीजतन, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को उप मुख्य पार्षद, बोधगया नगर परिषद के पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है, पूरी तरह से अवैध और कानून की नजर में गैर-कानूनी है।

9. इसके विपरीत, प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि यह सच है कि आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए रखरखाव के मुद्दे को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया गया था, लेकिन वह प्रस्तुत करता है कि रखरखाव के मुद्दे को उक्त

आदेश के पैराग्राफ-6 में दिनांक 17.12.2024 के आक्षेपित आदेश में तय किया गया है और उसके बाद प्रतिवादी आयोग द्वारा मामले के गुण-दोष पर निष्कर्ष दिया गया है। प्रत्यर्थी आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत करना सही नहीं है कि मामले का निर्णय प्रत्यर्थी आयोग द्वारा निर्विवाद साक्ष्य/सामग्री पर नहीं किया गया है, बल्कि कार्यवाही के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर किया गया है। आयोग के विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते है कि दिनांक 17/12/24 का आक्षेपित आदेश पारित करते समय प्रत्यर्थी आयोग ने तथ्य के विवादित प्रश्नों का निर्णय नहीं लिया है और इसलिए प्रत्यर्थी आयोग द्वारा पारित आक्षेपित आदेश पूरी तरह से कानूनी और उचित था। प्रत्यर्थी आयोग के अनुसार, यह किसी भी संदेह से परे है कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में प्रत्यर्थी आयोग द्वारा पहुँचा गया निष्कर्ष कि याचिकाकर्ता का तीसरा बच्चा 04.04.2008 के बाद पैदा हुआ था, सही है और ठोस साक्ष्य पर आधारित है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि अब यह स्थापित हो गया है कि याचिकाकर्ता का तीसरा बच्चा वास्तव में 04.04.2008 (04.04.2008 के बाद जन्म की वास्तविक तिथि अप्रासंगिक होने के कारण) के बाद पैदा हुआ था, इसलिए याचिकाकर्ता को बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) (एम) के अनुसार उप मुख्य पार्षद का पद धारण करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

10. श्री इंद्रदेव प्रसाद जो प्रत्यर्थी नं.8 प्रतिवादी आयोग के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित है ने भी तर्क का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि आक्षेपित आदेश में दिए गए निष्कर्षों के आधार पर अब यह निर्णायक रूप से साबित हो गया है कि याचिकाकर्ता का तीसरा बच्चा 04.04.2008 के बाद पैदा हुआ था और इसलिए याचिकाकर्ता को बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (1) (m) के अनुसार अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

11. ऊपर उल्लिखित पक्षों द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, इस मामले में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार हैः

"04.04.2008 के बाद याचिकाकर्ता के तीसरे बच्चे के जन्म के संबंध में शिकायत में लगाए गए आरोपों की प्रकृति और प्रतिवादी नं.8 और बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत उक्त शिकायत की व्यवहार्यता पर भी सवाल उठाते हुए, क्या प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग की ओर से मामले के गुण-दोष पर काम शुरू करने से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में शिकायत की व्यवहार्यता के संबंध में आपत्ति पर निर्णय लेना अनिवार्य था? यदि हाँ, तो क्या प्रारंभिक मुद्दे के रूप में ऐसी शिकायत की व्यवहार्यता के मुद्दे को तय किए बिना, क्या प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग ने रजनी कुमारी बनाम राज्य चुनाव आयोग 2019 (4) पी. एल. जे. आर. में रिपोर्ट किया हुआ 673 के मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार काम किया है ? यदि हाँ, तो क्या 2025 की पूरी कार्यवही प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग द्वारा संचालित, जो दिनांकित 17.12.2024 के आक्षेपित आदेश को पारित किया गया है अपास्त किये जाने योग्य है , जो त्रुटिपूर्ण, अवैध, अधिकार क्षेत्र के बिना है और आक्षेपित आदेश में प्रत्यर्थी आयोग द्वारा दिए गए निष्कर्ष की शुद्धता या अन्यथा योग्यता पर अधिक विश्वास किए बिना अलग रखा जाना उचित है?

12. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रत्यर्थी राज्य चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के प्रेषण के बारे में कानूनी मुद्दा अब *एकीकृत* नहीं है और दिए गए इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा निर्णायक रूप से तय किया जाता है। **रजनी कुमारी बनाम राज्य चुनाव आयोग** ने **2019 (4) पी. एल. जे. आर. 673** में रिपोर्ट किया हुआ !

13. इस निर्णय में दी गई कुछ प्रासंगिक टिप्पणियों और निष्कर्षों को उद्धृत करना महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान मामले के निर्णय के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं। वे इस प्रकार हैंः

*"**181.** यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को विशुद्ध रूप से चुनाव विवादों पर विचार नहीं करना चाहिए और क्या चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष लाया गया विवाद विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद है या नहीं, इसका निर्णय प्रारंभिक मुद्दे के रूप में किया जाना चाहिए। राज्य चुनाव आयुक्त के पास चुनाव से पहले या बाद में लौटे उम्मीदवार की किसी भी अयोग्यता का स्वतः संज्ञान लेने की शक्ति है। अयोग्यता से संबंधित तथ्यों के विवादित प्रश्न पर राज्य चुनाव आयोग द्वारा विचार नहीं किया जा सकता है और केवल उन मामलों पर ही आयोग द्वारा विचार किया जाना चाहिए जहां राज्य चुनाव आयोग के समक्ष निर्दोष सामग्री है। अन्य मामलों में जहां मुद्दों का निर्धारण केवल एक सक्षम अदालत द्वारा साक्ष्य देने के बाद किया जा सकता है, आयोग को एक तथ्य खोजने वाले निकाय के रूप में गठित एक सक्षम अदालत/न्यायाधिकरण के निर्णय की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता होगी जो इस मुद्दे पर निर्णय देने के लिए कानून द्वारा विधिवत अधिकृत है।*

***182.** भाई न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद ने 'योग्यता' और 'अयोग्यता' के मुद्दे पर विचार किया है। अपने अंतिम विश्लेषण में भाई न्यायमूर्ति प्रसाद ने निर्णय के पैराग्राफ 34 से 51 में इस विषय पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 2006 के अधिनियम की धारा 135 कहीं भी उन परिस्थितियों को निर्धारित नहीं करती है जिनके तहत किसी व्यक्ति को पंचायत या नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है और वास्तव में धारा 135 योग्यता की बात करती है 'जब तक कि अयोग्य नहीं', इसलिए धारा 136 की उप-धारा (2) के उक्त भाग को एक*

सामंजस्यपूर्ण निर्माण देने की आवश्यकता है जो धारा 135 में उल्लिखित किसी भी अयोग्यता के अधीन है जो अधिनियम के इरादे के लिए बेहतर हो सकता है। एक व्याख्या देने के लिए जो उपचार को आगे बढ़ाती है, भाई न्यायमूर्ति प्रसाद ने 2006 के अधिनियम की धारा 136 की उप-धारा (2) के उस हिस्से को इस हद तक पढ़कर अपने विचार व्यक्त किए हैं कि इसे 'किसी भी अयोग्यता के अधीन लेकिन धारा 135 में उल्लिखित योग्यता के अधीन नहीं' के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। बहन न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा और मैं खुद के फैसले में इस मुद्दे पर कोई असहमति नहीं है। चुनाव आयोग 'योग्यता' के मुद्दे और अयोग्यता के विवादास्पद मुद्दों के संबंध में स्वयं निर्णय नहीं ले सकता है जैसा कि ऊपर देखा गया है। भाई न्यायमूर्ति श्री प्रसाद के फैसले में पूरी चर्चा का सार को उनके फैसले के पैराग्राफ 54 में दर्ज किया गया है और मुझे अपने फैसले या बहन न्यायमूर्ति श्रीमती अंजना मिश्रा के फैसले में कोई मतभेद नहीं मिलता है।

183. इसलिए, मैं पाता हूँ कि अलग-अलग निर्णयों में पूरी चर्चा का संचयी प्रभाव हमें निम्नलिखित शब्दों में संदर्भ का उत्तर देने के लिए ले जाएगाः—

***प्रश्न संख्या 1**-क्या राज्य चुनाव आयोग के पास चुनाव के बाद किसी उम्मीदवार की अयोग्यता पर विचार करने की शक्ति होगी क्योंकि चुनाव के संचालन के लिए इस तरह के चुनाव आयोग का गठन किया गया है?*

184. हम इस बात से सहमत हैं कि राज्य चुनाव आयोग को बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 की उप-धारा (2) और बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136 की उप-धारा (2) के तहत एक उम्मीदवार की चुनाव से पहले या बाद में अयोग्यता के मुद्दे पर विचार करने की शक्ति मिली है, बशर्ते कि हमने अपने निर्णयों में एक ऐसे मामले के संबंध में सावधानी बरती है जो विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद की प्रकृति का है और फिर एक ऐसा मामला

जिसका निर्णय कानून के अनुसार एक सक्षम अदालत और प्राधिकरण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए बिना नहीं किया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग उनके समक्ष रखी गई निर्विवाद सामग्री के आधार पर 'अयोग्यता' के मुद्दों पर विचार करेगा और विचार करेगा। चाहे आयोग के समक्ष स्वतः या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत हो, आयोग में करेगा। सबसे पहले यह पता करें कि क्या यह विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद है और जब यह पाया जाता है कि उसके सामने लाया गया विवाद विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद नहीं है, तो आयोग निर्विवाद सामग्री के आधार पर इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा। जब भी किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए तथ्यों का कोई विवादित प्रश्न और कोई विवादास्पद मुद्दा आयोग के समक्ष एक आधार और आधार के रूप में लाया जाता है, तो आयोग को साक्ष्य लेने के बाद पक्षकारों को एक सक्षम अदालत/न्यायाधिकरण या ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सक्षम तथ्य खोजने वाले निकाय के पास भेजने की आवश्यकता होगी और जब तक आयोग ऐसी शिकायत पर स्वतः या अन्यथा निर्णय नहीं लेता है।.

[जोर दिया गया]

14. उपरोक्त निर्णय से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जब भी बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत दायर की गई शिकायत की स्थिरता को चुनौती दी जाती है, तो उसे अनिवार्य रूप से प्रारंभिक मुद्दे के रूप में सीमा पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह अधिकार क्षेत्र के तथ्य का सवाल है। इसलिए, यह आवश्यक है कि जब भी अनुपालन की स्थिरता के बारे में किसी आपत्ति पर किसी भी आधार पर गंभीरता से सवाल उठाया जाए, जिसमें यह आधार भी शामिल हो कि शिकायत में लगाए गए आरोप शिकायत के साथ किसी भी निर्विवाद सामग्री द्वारा समर्थित या आधारित नहीं हैं, तो गुण-दोष पर काम शुरू करने से पहले इसे प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना

चाहिए।उपरोक्त निर्णय से यह और स्पष्ट है कि शिकायतें जो चुनाव पर विवाद करने की प्रकृति की हैं, लेकिन जानबूझकर एक ऐसी भाषा में किया जाना चाहिए ताकि इसे धारा 18 (2) के दायरे में लाया जा सके, उत्तरदाता राज्य चुनाव आयोग द्वारा अपने दम पर सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए और ऐसी शिकायतों पर बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत विचार नहीं किया जाना चाहिए और वास्तव में इसे उपयुक्त दीवानी न्यायालय के समक्ष चुनाव याचिका दायर करने के लिए हटा दिया जाना चाहिए। इस न्यायालय (सुप्रा) की पूर्ण पीठ का निर्णय स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी आयोग के लिए यह अनिवार्य बनाता है कि वह पहले जांच करे और जांच करे कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद के रूप में योग्य हैं और केवल तभी जब यह पाया जाता है कि उसके सामने लाया गया विवाद विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद नहीं है, तो आयोग को निर्विवाद सामग्री के आधार पर इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इस प्रकार आयोग के लिए यह पता लगाना अनिवार्य है कि क्या तथ्यों का एक विवादित प्रश्न और एक विवादास्पद मुद्दा आयोग के समक्ष लाया गया है या नहीं, किसी उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए एक आधार और आधार के रूप में ? यदि हां, तो आयोग साक्ष्य लेने के बाद इस तरह के विवादास्पद मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए पक्षों को एक सक्षम न्यायालय/न्यायाधिकरण के पास भेजने के लिए पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अधिदेश के तहत है।

15. एक कारण है कि इस माननीय न्यायालय ने रजनी कुमारी (सुप्रा) के मामले में दिए गए पूर्ण पीठ के फैसले में कहा कि आयोग को सबसे पहले बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत शिकायत की रखरखाव के संबंध में फैसला करना चाहिए , क्योंकि यह मुद्दा हमेशा अधिकार क्षेत्र के तथ्य के अस्तित्व या गैर-अस्तित्व से संबंधित होगा। न्यायक्षेत्र संबंधी तथ्य के मुद्दे पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर निर्भरता रखी गई है, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि न्यायक्षेत्र

संबंधी तथ्य से संबंधित मुद्दे को मामले के गुण-दोष पर विचार करने से पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिएः

(क) अरुण कुमार और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2007) 1 एस. सी. सी. 732 में रिपोर्ट किए गए।

"74. एक "क्षेत्राधिकार तथ्य" एक ऐसा तथ्य है जो किसी विशेष मामले पर न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र ग्रहण करने से पहले मौजूद होना चाहिए। एक क्षेत्राधिकार तथ्य वह है जिसका अस्तित्व या गैर-अस्तित्व किसी न्यायालय, न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर निर्भर करता है। यह वह तथ्य है जिस पर एक प्रशासनिक एजेंसी की कार्य करने की शक्ति निर्भर करती है।यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद नहीं है, तो अदालत, प्राधिकरण या अधिकारी कार्य नहीं कर सकते हैं।यदि कोई अदालत या प्राधिकरण गलत तरीके से इस तथ्य के अस्तित्व को मानता है, तो आदेश पर प्रमाण पत्र द्वारा सवाल उठाया जा सकता है। अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि गलती से इस तरह के अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व को मानते हुए, कोई भी प्राधिकरण खुद को ऐसा अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है जो अन्यथा उसके पास नहीं है।

75. हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में कहा गया हैः

"जहाँ किसी न्यायाधिकरण की अधिकारिता किसी विशेष स्थिति के अस्तित्व पर निर्भर है, वहाँ उस स्थिति को मुद्दे के गुण-दोष के लिए प्रारंभिक या संपार्श्विक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यदि, किसी निम्न न्यायाधिकरण द्वारा जांच की शुरुआत में, उसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी जाती है, तो न्यायाधिकरण को यह तय करना होगा कि कार्रवाई करनी है या नहीं और प्रारंभिक या संपार्श्विक मुद्दे पर निर्णय दे सकता है; लेकिन वह निर्णय निर्णायक नहीं है।.

76. इस प्रकार क्षेत्राधिकार संबंधी तथ्य का अस्तित्व सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय द्वारा शक्ति के प्रयोग के लिए पूर्ववर्ती है।

77. राजा आनंद ब्रह्मा शाह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1967) 1 एस. सी. आर. 373:ए. आई. आर. 1967 एस. सी. 1081] भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 17 की उप-धारा (1) ने राज्य सरकार को अधिनिर्णय के अभाव में भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए आवश्यक "किसी भी अपशिष्ट या कृषि योग्य भूमि" पर

कब्जा करने के लिए कलेक्टर को सशक्त बनाने में सक्षम बनाया। अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलार्थी की भूमि का कब्जा छीन लिया गया था। अपीलार्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ इस कार्रवाई पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भूमि का उपयोग मुख्य रूप से जुताई और फसलें उगाने के लिए किया जाता था और यह "बंजर भूमि" नहीं थी, जो खेती या निवास के लिए अनुपयुक्त थी।,यह आग्रह किया गया था कि चूंकि प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र इस तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करता है कि भूमि "बंजर भूमि" थी, इसलिए उच्च न्यायालय प्रमाण पत्र के लिए एक कार्यवाही में यह निर्धारित करने का हकदार था कि तथ्य का निष्कर्ष सही था या नहीं।

78. इस तर्क को कायम रखते हुए और राज्य सरकार के निर्देश को अधिकार से बाहर घोषित करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. आर पी.380 डी-एफ)

> "हमारी राय में, धारा 17 (1) द्वारा लगाई गई शर्त एक ऐसी शर्त है जिस पर राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र निर्भर करता है और यह स्पष्ट है कि भूमि के चरित्र के बारे में प्रश्न का गलत निर्णय लेने से राज्य सरकार अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत भूमि पर कब्जा करने के लिए कलेक्टर को निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र नहीं दे सकती है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जहां किसी प्रशासनिक प्राधिकरण की अधिकारिता तथ्य के प्रारंभिक निष्कर्ष पर निर्भर करती है, वहां उच्च न्यायालय अपने स्वतंत्र निर्णय पर यह निर्धारित करने का हकदार है कि तथ्य का निष्कर्ष सही है या नहीं।" (जोर दिया गया)

79. एम. पी. राज्य बनाम.डी. के. जाधव [(1968) 2 एस. सी. आर. 823:ए. आई. आर. 1968 एस. सी. 1186] संबंधित क़ानून ने 2025 डी. टी. के सभी जागीर को समाप्त कर दिया।जिसमें भूमि, वन, पेड़, तालाब, कुएँ आदि शामिल हैं और उन्हें राज्य में निहित किया गया है। हालाँकि, इसने कहा कि कब्जे वाली भूमि पर सभी तालाबों, कुओं और इमारतों को क़ानून के प्रावधानों से बाहर रखा गया था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह प्रश्न कि क्या तालाब, कुएँ, आदि "अधिकृत भूमि" पर थे या "अनाधिकृत भूमि" पर थे, एक अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य था और उस तथ्य के निर्धारण पर, प्राधिकरण का अधिकार क्षेत्र निर्भर करेगा।

80. न्यायालय ने व्हाइट एंड कॉलिन्स बनाम स्वास्थ्य मंत्री [(1939) 2 के. बी. 838 में एक निर्णय पर भरोसा कियाः108 एलजे के. बी. 768:(1939) 3 सभी ई.

आर. 548 (सी. ए.) उपनाम रिपन (हाईफील्ड) आवास आदेश, 1938, री] जिसमें एक सवाल पर बहस की गई थी कि क्या अदालत के पास तथ्य के सवाल पर प्रशासनिक प्राधिकरण के निष्कर्ष की समीक्षा करने का अधिकार क्षेत्र था। संबंधित अधिनियम ने स्थानीय प्राधिकरण को कामकाजी वर्गों के आवास के लिए अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण करने में सक्षम बनाया। लेकिन यह स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया था कि कोई भी भूमि अधिग्रहित नहीं की जा सकती थी जो अनिवार्य खरीद की तारीख पर उद्यान, फुलवारी या आनंद स्थल का हिस्सा थी। अनिवार्य खरीद का आदेश दिया गया था जिसे मालिक ने यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि भूमि उद्यान का एक हिस्सा है। मंत्री ने सार्वजनिक जांच का निर्देश दिया और प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आदेश की पुष्टि की।

81. मंत्री के निष्कर्ष में हस्तक्षेप करते हुए और आदेश को दरकिनार करते हुए, अपील न्यायालय ने कहाः(सभी ई. आर. पी.559 जी-एच)

> "ध्यान में रखने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदेश देने का अधिकार क्षेत्र तथ्य के निष्कर्ष पर निर्भर करता है, क्योंकि जब तक कि भूमि को किसी उद्यान का हिस्सा नहीं माना जा सकता है, या सुविधा या सुविधा के लिए आवश्यक नहीं है, तब तक नगर परिषद में आदेश बनाने या मंत्री के पुष्टि करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।ऐ से मामले में यह लगभग स्पष्ट प्रतीत होता है कि जिस न्यायालय को इस बात पर विचार करना है कि क्या आदेश देने या पुष्टि करने का अधिकार क्षेत्र है, वह उस महत्वपूर्ण निष्कर्ष की समीक्षा करने का हकदार होना चाहिए जिस पर अधिकार क्षेत्र का अस्तित्व निर्भर करता है। यदि ऐसा नहीं होता, तो अदालत में आवेदन करने का अधिकार भ्रामक होता।.

82. आयकर अधिनियम, 1922 के तहत एक प्रश्न रज़ा टेक्सटाइल्स लिमिटेड बनाम.आईटीओ [(1973) 1 एससीसी 633:1973 एस. सी. सी. (कर) 327:ए. आई. आर. 1973 एस. सी. 1362] उस मामले में, आईटीओ ने एक्स के इस तर्क को खारिज करते हुए कि वह एक अनिवासी फर्म नहीं था, एक्स को कर की एक निश्चित राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।न्या याधिकरण ने आदेश की पुष्टि की। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने एक्स को अनिवासी फर्म के

रूप में अभिनिर्धारित किया और स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं था। हालांकि, खंडपीठ ने आदेश को यह कहते हुए अपास्त कर दिया कि -

"... [आई. टी. ओ.] के पास किसी भी तरह से प्रश्न का निर्णय करने का अधिकार क्षेत्र था। यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिकारी ने निवास के इस प्रश्न पर गलत निर्णय लेकर अधिकार क्षेत्र ग्रहण किया।" (एस. सी. सी. पी. 634, पैरा 3) एक्स ने इस अदालत का दरवाजा खटखटाया।

83. अपील को स्वीकार करते हुए और खंड पीठ के आदेश को अपास्त करते हुए, इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 634-35, पैरा 3)

> "ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलीय पीठ इस धारणा में थी कि आयकर अधिकारी इस तथ्य का एकमात्र न्यायाधीश था कि क्या विचाराधीन फर्म निवासी थी या अनिवासी। हमारी राय में यह निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है। कोई भी प्राधिकरण, बहुत कम एक अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण, किसी क्षेत्राधिकार तथ्य को गलत तरीके से तय करके खुद को अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं कर सकता है। यह सवाल कि क्या अधिकार क्षेत्र के तथ्य का सही निर्णय लिया गया है या नहीं, एक ऐसा सवाल है जो उच्च न्यायालय द्वारा प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन में जांच के लिए खुला है। यदि उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने इस मामले में किया है, कि आयकर अधिकारी ने किसी अधिकार क्षेत्र संबंधी तथ्य का गलत निर्णय लेकर अधिकार क्षेत्र को पकड़ लिया था, तो निर्धारिती अपने द्वारा अनुरोध किए गए प्रमाण पत्र के रिट का हकदार था। तब यह सोचना समझ से परे है कि आयकर अधिकारी जैसा अर्ध-न्यायिक प्राधिकरण गलती से किसी अधिकार क्षेत्र के तथ्य का निर्णय ले सकता है और उसके बाद किसी नागरिक पर शुल्क लगाने के लिए आगे बढ़ सकता है।"

(जोर दिया गया)

84 उपरोक्त निर्णयों से, यह स्पष्ट है कि अभ्यास के लिए "क्षेत्राधिकार तथ्य" का अस्तित्व की शक्ति अनिवार्य है।यदि क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद है, तो प्राधिकरण मामले के साथ आगे बढ़ सकता है और कानून के अनुसार उचित निर्णय ले सकता है। एक बार जब प्राधिकरण के पास "क्षेत्राधिकार तथ्य" के अस्तित्व पर मामले में

अधिकार क्षेत्र हो जाता है, तो वह "मुद्दे में तथ्य" या "न्यायिक तथ्य" तय कर सकता है।"मुद्दे में तथ्य" या "न्यायिक तथ्य" पर एक गलत निर्णय प्राधिकरण का निर्णय अधिकार क्षेत्र के बिना या कमजोर नहीं करेगा बशर्ते अधिकार क्षेत्र के अस्तित्व के रूप में आवश्यक या मौलिक तथ्य मौजूद हो।.

(ख) कारोना लिमिटेड बनाम मेसर्स पार्वती स्वामीनाथन एंड संस।ए. आई. आर. 2008 एस. सी. 187 में रिपोर्ट किया गया।

"31. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा अधिकारिता ग्रहण करने के लिए, अधिकारिता संबंधी तथ्य का अस्तित्व एक पूर्ववर्ती शर्त है। लेकिन एक बार जब ऐसा क्षेत्राधिकार तथ्य मौजूद पाया जाता है, तो न्यायालय या न्यायाधिकरण के पास इस मुद्दे में न्यायिक तथ्यों या तथ्यों पर निर्णय लेने की शक्ति होती है।.

16. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के तीसरे बच्चे के जन्म 04/04/2008 के बाद के संबंध में शिकायत में लगाए गए आरोप को अयोग्यता के आधार के रूप में आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्राप्त एक दस्तावेज द्वारा समर्थित किया गया था, जिसमें स्कूल प्रवेश रजिस्टर की एक फोटोकॉपी संलग्न की गई थी जिसमें याचिकाकर्ता के तीसरे बच्चे की जन्म तिथि 17.12.2013 दिखाई गई थी। उक्त प्रवेश रजिस्टर की फोटोकॉपी के ग्यारहवें कॉलम में कथित रूप से कौशमी देवी के अंगूठे का निशान मौजूद दिखाया गया था । यह दस्तावेज़ प्रतिवादी नं. 1 द्वारा दायर शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में निर्विवाद सामग्री/साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया एकमात्र आधार था। .इन आरोपों का जवाब देते हुए याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी के उपरोक्त आरोप पर विवाद करते हुए प्रतिवादी आयोग के समक्ष जवाब दायर किया था। आरोप लगा रहे हैं कि पैराग्राफ नं.9,10,11, 13, 14, 15, 16, 17 याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष दायर किए गए उत्तर को आवश्यक होने के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।

9. अब तक जवाब के तहत शिकायत के पैरा 3 (iv) और (v) में दिया गया बयान विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि 04.08.2008 के बाद स्वाति कुमारी के नामांकन में चौथे बच्चे होने के आरोप का आधार आर. टी. आई. द्वारा वर्ष 2018 में धनवन प्राथमिक विद्यालय में स्कूल प्रवेश

रजिस्टर के आधार पर खंड शिक्षा अधिकारी, बोधगया द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित है, जैसा कि शिकायत याचिका के अनुलग्नक-2 में निहित है, जिसमें दिखाया गया है कि कौशमी देवी (विरोधी पक्ष संख्या 1) की बेटी स्वाति कुमारी और सुरेश मांझी जिनकी जन्म तिथि 17.02.2013 के रूप में उल्लिखित है, लेकिन कोई वृत्तचित्र नहीं है। स्वाती कुमारी की जन्म तिथि का प्रमाण संलग्न है और यहां तक कि विरोधी पक्ष संख्या 1 की मां अंगूठे के नाम पर भी बनाया गया है, इस तथ्य के बावजूद कि विरोधी पक्ष संख्या 1 ने स्पष्ट रूप से अपने हस्ताक्षर किए हैं या अपना नाम लिखा है, जिसे उनके द्वारा हस्ताक्षरित वकालतनामे में भी कई दस्तावेजों से सत्यापित किया जा सकता है और क्योंकि आर. टी. आई. के तहत प्रदान किए गए ऐसे दस्तावेज केवल तिरछे उद्देश्य से तैयार किए जाते हैं ताकि बिहार नगर निगम अधिनियम 2007 की धारा 18 (1) (एम) को देखते हुए विरोधी पक्ष संख्या 1 को अयोग्य ठहराया जा सके।

10. यह कहा गया है कि वास्तव में विरोधी पक्ष संख्या 1 के तीन बच्चे हैं जिनका जन्म तिथि निर्दिष्ट करने वाला विवरण इस प्रकार है:-

बच्चों का नाम	*संबंध*	*जन्म तिथि*
1. आरती कुमारी	*बेटी*	*04.01.2002*
2. विकास कुमार	*पुत्र*	*05.03.2005*
3. सुगंती कुमारी	*बेटी*	*15.01.2007*

और उनकी स्वाति कुमारी के नाम पर कोई अन्य बेटी नहीं है जो 04.08.2008 के बाद पैदा हुई है और उपरोक्त उल्लिखित जन्म तिथि का उल्लेख करने वाले उपरोक्त सभी तीन बच्चों के उस अलग आधार कार्ड के समर्थन में सही है और विशेष रूप से स्वाति कुमारी के नाम पर चौथी बेटी के अस्तित्व के बारे में इनकार करता है।

11. यह आगे कहा गया है कि राशन कार्ड विरोधी पक्ष संख्या 1 के पक्ष में जारी किया गया है जिसमें परिवार के सदस्यों के विवरण है जिसमे केवल तीन बच्चों का उल्लेख किया गया है । आरती कुमारी, विकास कुमार और सुगंती कुमारी नाम के बच्चों का उल्लेख किया गया है जिनकी संभावित आयु का भी उल्लेख किया गया है। यह विशेष रूप से कहा गया है कि 2022 के चुनाव में नामांकन की तारीख से बहुत पहले राशन कार्ड जारी किया गया है जो स्वयं साबित करता है कि स्वाति कुमारी के नाम पर चौथा बच्चा होने का कथित आरोप केवल काल्पनिक है ताकि विरोधी पक्ष को अप्रत्यक्ष उद्देश्य से अयोग्य घोषित किया जा सके।

13. यह विशेष रूप से कहा गया है कि न तो विरोधी पक्ष संख्या 1 और न ही उनके पति अशोक मांझी कभी भी अपने किसी भी बच्चे के प्रवेश के उद्देश्य से धनवा प्राथमिक विद्यालय गए हैं और इस तरह के कथित दस्तावेज जो जन्म तिथि 17.02.2013 का उल्लेख करते हुए स्वाति कुमारी के प्रवेश के समर्थन में शिकायत याचिका के साथ संलग्न हैं, काल्पनिक और सत्य से परे हैं।

14. यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि जब विरोधी पक्ष संख्या 1 ने स्कूल प्रवेश रजिस्टर पर आपत्ति जताई जिसमें स्वाति कुमारी को विरोधी पक्ष संख्या 1 की बेटी के रूप में उल्लेख किया गया है तो लंगड़ा बहाना बनाया जा रहा है कि आंगनवाड़ी केंद्र द्वारा समर्थन के आधार पर प्रवेश लिया गया था जो स्वयं साबित करता है कि विरोधी पक्ष संख्या 1 के नाम पर दिखाया गया बाएं अंगूठे का निशान जाली और मनगढ़ंत है क्योंकि शिकायत याचिका के साथ संलग्न दस्तावेजों में इस पहलू का उल्लेख नहीं किया गया है।

15. कि यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि इस आरोप के समर्थन में शिकायत द्वारा कोई निर्विवाद दस्तावेज या सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई है कि कथित स्वाति कुमारी विरोधी पक्ष संख्या 1 की बेटी हैं और उनकी जन्म तिथि 17.02.2013 है और इस तरह तथ्य के इस विवाद के प्रश्न का निर्णय मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद सक्षम दीवानी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसके लिए इस माननीय आयोग को सक्षम न्यायालय द्वारा की गई आवश्यक घोषणा को पूर्णता देने की आवश्यकता होगी।

16. चूंकि शिकायतकर्ता के पास चौथे बच्चे होने के इस तरह के काल्पनिक आरोप को साबित करने के लिए ऐसे कोई दस्तावेज नहीं थे, जिसके बाद स्वाति कुमारी ने जन्म लिया और इस तरह उन्होंने धारा 476 के साथ-साथ बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 478 के तहत निर्धारित चुनाव याचिका को प्राथमिकता देने का विकल्प नहीं चुना।.

17. कि यह कहा गया है और प्रस्तुत किया गया है कि जब शिकायतकर्ता किसी भी आरोप के समर्थन में निर्विवाद दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका कि स्वाति कुमारी विरोधी पक्ष संख्या 1 की चौथी संतान हैं, तो कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर यह साबित करने के लिए कि सुगंती कुमारी और स्वाति कुमारी एक ही हैं पर अडिग जो शिकायत में लगाए गए आरोप का हिस्सा नहीं हैं और इस तरह बाद में आरोप में सुधार कानून की नजर में स्वीकार्य नहीं है।.

17. याचिकाकर्ता द्वारा प्रत्यर्थी आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए उपरोक्त उत्तर से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के तीसरे बच्चे की जन्म तिथि का प्रश्न गंभीर विवाद में था और

इसका निर्णय केवल साक्ष्य के आधार पर ही किया जा सकता था। तथ्य के इस विवादित प्रश्न का निर्णय प्रत्यर्थी आयोग द्वारा बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत संक्षिप्त कार्यवाही में **रजनी कुमारी के मामले** (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार नहीं किया जा सकता था। स्पष्ट रूप से, प्रत्यर्थी आयोग ने अपने अधिकार का उल्लंघन किया और तथ्य के इस विवादित प्रश्न पर विचार किया और अंततः याचिकाकर्ता के खिलाफ एक निष्कर्ष दिया। निष्कर्ष, (चाहे सही हो या गलत) इसलिए अधिकार क्षेत्र के प्रयोग का परिणाम है जो प्रतिवादी आयोग को कानून में उपलब्ध नहीं था। अतः, इस न्यायालय का विचार है कि यदि कोई प्राधिकारी तथ्य के विवादित प्रश्न पर कोई निष्कर्ष देता है, तो उक्त निष्कर्ष सही है या नहीं, यह अनुचित हो जाता है, यदि संबंधित प्राधिकारी के पास कार्यवाही करने और ऐसा निष्कर्ष देने का अधिकार क्षेत्र नहीं था ।केवल उन निष्कर्षों को कानून में बरकरार रखा जा सकता है जो शक्ति के कानूनी और वैध प्रयोग के अनुसार दिए गए हैं। इस संबंध में माननीय शीर्ष न्यायालय के निम्न फैसले पर निर्भरता रखी गई है। **डॉ. जगमितर सैन भगत और अन्य बनाम निदेशक स्वास्थ्य सेवाएँ, हरियाणा और अन्य. ए. आई. आर. 2013** में रिपोर्ट किए गए **एस. सी. 3060,** के मामले में अदालत ने फैसला सुनाया जिसका प्रासंगिक अनुच्छेद आवश्यक होने पर नीचे उद्धृत किया गया है।

> "7.निर्विवाद रूप से, यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि अधिकार क्षेत्र प्रदान करना एक विधायी कार्य है और इसे न तो पक्षों की सहमति से और न ही किसी उच्च न्यायालय द्वारा प्रदान किया जा सकता है, और यदि न्यायालय इस मामले पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रखने वाली डिक्री पारित करता है, तो यह इसके बराबर होगा क्योंकि मामला कारण की जड़ों तक जाता है। इस तरह का मुद्दा कार्यवाही के किसी भी चरण में उठाया जा सकता है। एक बार जब मंच का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं पाया जाता है तो न्यायालय या न्यायाधिकरण का निष्कर्ष अप्रासंगिक और अप्रवर्तनीय/अप्रवर्तनीय हो जाता है। इसी तरह, यदि किसी न्यायालय/न्यायाधिकरण में स्वाभाविक रूप से अधिकार क्षेत्र का अभाव है, तो पक्ष की सहमति को समान रूप से स्थायी

बनाने और विधायी एनीमेशन को विफल करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय संविधि के अलावा अधिकारिता प्राप्त नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति में छूट का सिद्धांत भी लागू नहीं होता है।(जैसा: यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड बनाम उनके कर्मचारी, **ए. आई. आर. 1951 एस. सी. 230;** श्रीमती. नई बहू बनाम लाल रामनारायण और अन्य, **ए. आई. आर. 1978 एस. सी. 22;** नटराज स्टूडियो (पी) लिमिटेड बनाम नवरंग स्टूडियो और दुसरे , **ए. आई. आर. 1981 एस. सी. 537;** और कोंडीबा दगडू कदम बनाम सावित्रीबाई सोपान गुजर और अन्य, **ए. आई. आर. 1999 एस. सी. 2213)।.**

18. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में, प्रतिवादी आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए रखरखाव के मुद्दे को प्रतिवादी आयोग द्वारा प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय नहीं किया गया था। अर्थात्, अधिकारिता संबंधी तथ्य के मुद्दे पर निर्णय लिए बिना, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी आयोग ने अधिकार क्षेत्र ग्रहण कर लिया और तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्णय योग्यता के आधार पर की यात्रा शुरू की। इस तरह का दृष्टिकोण कानून के लिए अज्ञात है और इसलिए प्रारंभिक मुद्दे के रूप में शिकायत की रखरखाव के सवाल को तय करने में विफल रहने के लिए आक्षेपित आदेश को बनाए नहीं रखा जा सकता है।

19. तर्क के दौरान, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने यह भी कहा कि जिन आधारों पर शिकायतकर्ता ने अयोग्यता के लिए शिकायत दर्ज की थी, वह वास्तव में एक ऐसा मामला था जिसे बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 479 (1) (डी) (आई) में उल्लिखित आधार पर एक चुनाव याचिका में पुरजोर उठाया जाना चाहिए था। उनका तर्क था कि चुनाव याचिका दायर करने के बजाय, प्रतिवादी नं. 8 इसे शरारतपूर्ण तरीके से ऐसी भाषा में पेश किया ताकि इसे उक्त अधिनियम की धारा 18 (1) (एम) के दायरे में लाया जा सके। रजनी कुमारी के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार, यह पता लगाना प्रतिवादी आयोग का कर्तव्य था कि शिकायत में विशुद्ध रूप से चुनाव विवाद है या

नहीं ? प्रत्यर्थी आयोग मामले के इस पहलू की जांच करने में विफल रहा और इसलिए इस मुद्दे पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला, जिसे शुरू में एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाना चाहिए था।

20. याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रतिवादी नं.8 इस आधार पर शिकायत दर्ज करने के लिए कि वह हारने वाला उम्मीदवार नहीं था और वास्तव में हारने वाले उम्मीदवार का पति था और इस तरह उसके पास शिकायत दर्ज करने का अधिकार नहीं था। इस संबंध में, याचिकाकर्ता की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने **रवि यशवंत भोईर बनाम जिला कलेक्टर , रायगढ़ और अन्य (2012)4 एस.सी. सी. 407** में रिपोर्ट किया हुआ के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पैराग्राफ-58,59 और 60 पर भरोसा किया और बताया और जो आवश्यक होने के लिए नीचे उद्धृत किया गया है।

> *"**58.** श्री चिंतामन रघुनाथ घरत, पूर्व अध्यक्ष , शिकायतकर्ता थे, इस प्रकार, अधिक से अधिक, वह एक गवाह के रूप में साक्ष्य का नेतृत्व कर सकते थे। वह एक विरोधी वादी के दर्जे का दावा नहीं कर सकता था। शिकायतकर्ता एल. आई. एस. में पक्षकार नहीं हो सकता। एक कानूनी अधिकार कानून से उत्पन्न होने वाली पात्रता का एक प्रमाण है।वा स्तव में, यह कानून के शासन द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला लाभ है। इस प्रकार, एक व्यक्ति जो कानूनी चोट से पीड़ित है, केवल कार्य या चूक को चुनौती दे सकता है। कुछ नुकसान या हानि हो सकती है जो कानून की नजर में गलत नहीं हो सकती है क्योंकि इसके परिणामस्वरूप शिकायतकर्ता के कानूनी अधिकार या कानूनी रूप से संरक्षित हित को नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन इस विवरण को कानूनी रूप से नुकसान पहुँचाना दंडनीय दंडात्मक ही होगा .*
>
> ***59.** शिकायतकर्ता को यह स्थापित करना होगा कि उसे कानूनी अधिकार से वंचित या वंचित किया गया है और उसने किसी भी कानूनी रूप से संरक्षित हित को नुकसान नहीं पहुंचाया है । यदि उसके पास लटकाने के न्यायोचित दावे के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है, तो उसे एक पक्ष के रूप में नहीं सुना जा सकता है। एक काल्पनिक या भावनात्मक शिकायत व्यक्ति*

पर मुकदमा करने का अधिकार देने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती है। इंजुरिया या कानूनी शिकायत होनी चाहिए जिसकी सराहना की जा सकती है न कि स्टेट प्रो राशन स्वैच्छिक कारण यानी बिना किसी कारण के दावा।

***60**. एक आवश्यक पक्ष होने की आड़ में, किसी व्यक्ति को सामान्य जनहित का मामला बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। दूरस्थ हित वाले व्यक्ति को सूची में पक्षकार बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि जो व्यक्ति किसी मामले में पक्षकार बनना चाहता है, उसे यह स्थापित करना होता है कि उसका स्वामित्व अधिकार है जिसका उल्लंघन किया गया है या जिसका उल्लंघन होने की आशंका है, इस कारण से कि कानूनी चोट से घायल व्यक्ति में उपचारात्मक अधिकार पैदा होता है। किसी व्यक्ति को पार्टी के रूप में नहीं सुना जा सकता है जब तक कि वह पीड़ित पार्टी के विवरण का जवाब न दे। (जैसा: आदि फिरोजशाह गांधी बनाम महाराष्ट्र के महाधिवक्ता [(1970) 2 एस. सी. सी. 484:ए. आई. आर. 1971 एस. सी. 385], जसभाई मोतीभाई देसाई बनाम रोशन कुमार [(1976) 1 एस. सी. सी. 671:ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 578], महाराज सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [(1977) 1 एस. सी. सी. 155:ए. आई. आर. 1976 एस. सी. 2602], गुलाम कादिर बनाम विशेष न्यायाधिकरण [(2002) 1 एस. सी. सी. 33] और काबुशिकी कैशा तोशिबा बनाम तोसिबा उपकरण कंपनी [(2008) 10 एस. सी. सी. 766]) उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा कि यह राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का मामला था। अपीलार्थी के मामले पर बिल्कुल भी सही परिप्रेक्ष्य में विचार नहीं किया गया है।.*

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा की गई उपरोक्त प्रस्तुति का प्रतिवादी आयोग ने इस आधार पर विरोध किया कि मामले के तथ्य और उपरोक्त निर्णय में व्याख्या के तहत क़ानून अलग-अलग थे और इसलिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैरा 58 से 60 में दिए गए निष्कर्ष वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होंगे। मैं प्रत्यर्थी आयोग के विद्वान वकील द्वारा की गई प्रस्तुति से सहमत हूं। यहां तक कि बिहार नगर निगम अधिनियम की धारा 18 (2) की भाषा भी यह पूरी तरह से स्पष्ट करती है कि अयोग्यता का मामला किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा शिकायत, आवेदन या जानकारी के रूप में राज्य चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है। इसमें यह भी प्रावधान है कि राज्य चुनाव आयोग भी ऐसे

मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है और प्रभावित दलों को पर्याप्त अवसर देने के बाद ऐसे मामलों पर तेजी से निर्णय ले सकता है। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) आवश्यक होने पर नीचे उद्धृत की गई है।

> "[(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या किसी भी स्तर पर नगर पालिका के सदस्य को चुनाव से पहले अयोग्य घोषित किया गया था या भारत के संविधान के अनुच्छेद-243-5 में प्रदान किए गए चुनाव के बाद अयोग्यता का सामना करना पड़ा है और धारा-475 में उल्लिखित किसी अयोग्यता या धारा-18 की उप-धारा (1) में उल्लिखित किसी अयोग्यता के अधीन रहते हुए प्रश्न राज्य चुनाव आयुक्त के निर्णय के लिए भेजा जाएगा। अयोग्यता का मामला किसी भी व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा शिकायत, आवेदन या जानकारी के रूप में राज्य चुनाव आयोग के संज्ञान में लाया जा सकता है। राज्य चुनाव आयोग भी ऐसे मामलों का स्वतः संज्ञान ले सकता है और प्रभावित पक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद ऐसे मामलों पर तेजी से निर्णय ले सकता है।]
>
> {जोर दिया गया]

22. किसी भी व्यक्ति को अयोग्यता के लिए राज्य चुनाव से पहले शिकायत या आवेदन दायर करने का अधिकार देने वाले उपरोक्त स्पष्ट प्रावधान और राज्य चुनाव आयोग को स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसी कार्यवाही शुरू करने की शक्ति देने के मद्देनजर, यह नहीं कहा जा सकता है कि केवल हारने वाला उम्मीदवार ही बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत शिकायत दर्ज कर सकता है और इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि प्रत्यर्थी सं.8 को शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए उसके द्वारा की गई इस तरह की प्रस्तुति को अस्वीकार कर दिया गया है।

23. दिनांक 17.12.2024 के आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ-5 पर भी ध्यान देना उचित है, जिसमें प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग ने कई स्थानों पर जिला दंडाधिकारी द्वारा साक्ष्य एकत्र करने का उल्लेख किया है। इसलिए, जिला दंडाधिकारी द्वारा की गई जांच साक्ष्य के संग्रह पर आधारित है। जिसके लिए याचिकाकर्ता को प्रतिवाद/खंडन करने का अवसर नहीं

दिया गया था। इसलिए, आक्षेपित आदेश के पैराग्राफ-5 में की गई चर्चा स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग के समक्ष की गई पूरी कार्यवाही साक्ष्य एकत्र करने और उसके बाद इस प्रकार एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर तथ्य के विवादित प्रश्न का निर्णय लेने की प्रकृति की थी। याचिकाकर्ता के अनुरोध पर दो चिकित्सा बोर्डों की स्थापना की आवश्यकता से यह भी पता चलता है कि प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग ने तथ्य के विवादित प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए साक्ष्य एकत्र करने की आवश्यकता महसूस की। बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत जांच की इस तरह की प्रकृति की अनुमति नहीं है, जिसे केवल निर्विवाद सामग्री के आधार पर संचालित और तय किया जाना है। अभेद्य सामग्री का अर्थ शिकायत में लगाए गए आरोपों के समर्थन में शिकायत द्वारा प्रस्तुत ऐसी सामग्री/साक्ष्य होंगे जिन पर महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है और/या जिन पर किसी को संदेह या विवाद नहीं हो सकता है। जिस क्षण शिकायत के साथ साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किसी चीज़ को साक्ष्य के आगे के संग्रह के आधार पर मान्य/स्थापित करने की आवश्यकता होती है, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रस्तुत या शिकायत के साथ दिया गया साक्ष्य निर्दोष साक्ष्य/सामग्री के रूप में योग्य नहीं है।

24. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के तहत और ऊपर दिए गए कारणों के लिए, इस न्यायालय ने पाया कि प्रतिवादी आयोग द्वारा पारित दिनांक 17.12.2024 का आक्षेपित आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद से अयोग्य घोषित किया गया है, त्रुटिपूर्ण, स्पष्ट रूप से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है , उक्त विवादित आदेश रजनी कुमारी के मामले (सुप्रा) में इस अदालत की पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित कानून का उल्लंघन करते हुए भी पारित किया गया है। नतीजतन 2023 के मामले सं.15/2023 में प्रतिवादी राज्य चुनाव आयोग द्वारा पारित दिनांक 17.12.2024 के आदेश (अशोक कुमार मांझी बनाम कौशमी देवी और अन्य) को इसके द्वारा रद्द/अलग कर दिया

जाता है और याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से उप मुख्य पार्षद, गया नगर परिषद, बोधगया के पद पर बहाल कर दिया जाता है।

आई. ए. सं. 3/2025

25. ऊपर दिए गए कारणों के लिए, और अंतर्वर्ती आवेदन और शपथ पत्र में बताए गए कारणों के लिए भी, इस अंतर्वर्ती आवेदन की अनुमति दी जाती है और उक्त आवेदन के पैराग्राफ-18 में किए गए अतिरिक्त अनुरोध को मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना के हिस्से के रूप में माना जाता है। चूँकि यह न्यायालय पहले ही इस निष्कर्ष पर पहुँच चुका है कि दिनांक 17.12.2024 का आक्षेपित आदेश अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना है, जिससे उसको अपास्त कर दिया जाता है। और याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद पर बहाल करते हुए, चुनाव की अनुसूची पत्र सं.2228 दिनांक 24.05.2025 (आई. ए. के लिए अनुलग्नक-पी-8) सचिव, राज्य चुनाव आयोग के हस्ताक्षर के तहत जारी किया गया, जहां तक यह उप मुख्य पार्षद के पद के लिए चुनाव कराने से संबंधित है, बोधगया नगर परिषद को भी अपास्त कर दिया गया है और प्रतिवादी राज्य चुनाव को निर्देश दिया गया है कि जहां तक बोधगया नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के पद के लिए चुनाव कराने का संबंध है, वह चुनाव न कराए।

26. इस निर्णय के साथ भाग लेने से पहले, यह अवलोकन करना उचित माना जाता है कि एक निर्वाचित उम्मीदवार को अयोग्य ठहराने के लिए बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत दायर किसी भी शिकायत पर बेपरवाह तरीके से विचार नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप एक विधिवत और वैध रूप से निर्वाचित उम्मीदवार को अपदस्थ किया जा सकता है।जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का अस्तित्व बहुमूल्य है और इसे एक तुच्छ शिकायत के आधार पर हमला या हमला करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, जो कानून में बनाए रखने योग्य नहीं है।इ सलिए, राज्य चुनाव आयोग का यह दायित्व है कि वह रजनी कुमारी के मामले में इस अदालत के पूर्ण पीठ के फैसले द्वारा

निर्धारित परीक्षणों को लागू करके प्रारंभिक मुद्दे के रूप में शिकायत की स्थिरता की हमेशा स्वयं जांच करे। यह उम्मीद की जाती है कि अब से बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत दर्ज की गई सभी शिकायतों की उत्तरदाता राज्य चुनाव आयोग द्वारा बहुत सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी और सभी मामलों में, इसकी रखरखाव को चुनौती देने वाले दूसरे पक्ष पर इसे आकस्मिक बनाए बिना, शुरुआत में एक प्रारंभिक मुद्दे के रूप में तय किया जाएगा। यह हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए कि जमीनी स्तर का लोकतंत्र आम नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सीधे भाग लेने, स्थानीय स्तर पर एक अधिक समावेशी और उत्तरदायी सरकार को बढ़ावा देने के लिए सशक्त बनाता है। लोकतंत्र का यह रूप हाशिए पर पड़े समूहों को आवाज देकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि नीतियां समुदाय की जरूरतों और मूल्यों के अनुरूप हों। इसके अलावा, यह नागरिक भागीदारी को बढ़ाता है, सामाजिक विकास को मजबूत करता है और सरकारी जवाबदेही को बढ़ाता है। इन कारणों से यह महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी आयोग को बिहार नगर निगम अधिनियम, 2007 की धारा 18 (2) के तहत निर्वाचित प्रतिनिधि की अयोग्यता की शिकायत पर विचार करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। दोहराने की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि जब भी प्रतिवादी आयोग के समक्ष कोई शिकायत दर्ज की जाती है, तो अपने स्वयं के प्रतिवादी आयोग को पहले प्रारंभिक मुद्दे के रूप में इसकी रखरखाव की जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही, यदि यह पाया जाता है कि प्रत्यर्थी आयोग कानून में उसके लिए उपलब्ध दायरे के भीतर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ता है। इसलिए, प्रत्यर्थी आयोग के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह शिकायतकर्ता को रजनी कुमारी के मामले में निर्धारित कानून के आलोक में उक्त शिकायत की व्यवहार्यता के बारे में संतुष्ट करने के लिए सख्त कार्रवाई करे। यह मामले के गुण-दोष पर काम शुरू करने से पहले सीमा पर ही किया जाना चाहिए।

27. उपरोक्त टिप्पणियों, निष्कर्षों और निर्देश, के साथ वर्तमान रिट आवेदन की अनुमति है।

28. सभी लंबित आई. ए., यदि कोई हों, को निष्पादित माना जाएगा

(आलोक कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रकाश नारायण

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।